संख्या-26/ 2016/ 2332 सी0डी0/46-3-16-1000(46)/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी,
लखीमपुर खीरी।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 03 नवम्बर, 2016

विषयः- वर्ष 2012-13 में जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपदा राहत निधि से कार्य कराने के लिए स्वीकृत कार्ययोजना एवं उसके अनुसार अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु, वित्तीय वर्ष 2016-17 में गन्ना विकास विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत मद) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, अवशेष धनराशि/द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवशेष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के पत्र संख्या-1180 सी0डी0/46-3-16-1000(46)/2015, दिनांक 02 जून, 2016 के संबंध में आख्या प्रेषण विषयक जिलाधिकारी, बरेली के पत्र संख्या-1823/ सी, दिनांक 29.07.2016 एवं शासन के राजस्व विभाग (अनुभाग-10) के द्वारा परियोजना के संबंध में प्रथम किश्त की धनराशि को अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-2243/1-10-2013- 12(39)/12, दिनांक 06 जून 2013 तथा शासनादेश संख्या-631/1-2014-14(15) /2009, दिनांक 03.07.2014 एवं गन्ना आयुक्त के पत्र संख्या-523/12-निर्माणः अ0ग्रा0: बाढ़-72, दिनांक 16.08.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- राजस्व विभाग के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 06.06.2013 द्वारा, वर्ष 2012-13 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत तात्कालिक मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु गन्ना विकास विभाग लखीमपुर खीरी की 20 कार्यो/परियोजना के लिए धनराशि अंकन रु0 3,84,70,000/- की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रुप में रु0 1,92,35,000/- (रुपया एक करोड़ बानबे लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 03.07.2014 द्वारा निर्णय लेते हुए इस आशय के निर्देश राजस्व विभाग द्वारा प्रसारित किये गये कि राज्य आपदा मोचक निधि में उपलब्ध सीमित धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2012-13 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु कराये जाने वाला अवशेष कार्यो को, संबंधित विभाग अपने विभागीय मद से बजट प्रावधान कराकर, पूर्ण कराये। तदक्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में गन्ना विकास विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत मद) के अन्तर्गत बजटीय प्राविधान कराये गये।

3- उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 से सूचनाओं सहित प्राप्त आख्या/प्रस्ताव तथा राजस्व विभाग (अनुभाग-10) के शासनादेश दिनांक 06.06.2013 द्वारा उपरोक्त स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष प्रथम किश्त के रुप में अवमुक्त की गयी धनराशि अंकन रु0 1,92,35,000/- के उपरान्त, योजनान्तर्गत इस शासनादेश के संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार, अवशेष कार्यो को कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में गन्ना विकास विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत मद) के अन्तर्गत कराये गये बजट प्राविधान के सापेक्ष जनपद लखीमपुर खीरी से संबंधित कार्यो के लिए अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 1,77,66,000/- (रुपया एक करोड़ सतहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र), को नियमानुसार व्यय की अनुमति सहित, आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

----------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- द्वितीय किश्त के रुप में अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग, राजस्व विभाग द्वारा आपदा राहत के संबंध में निर्गत निर्देशों तथा भारत सरकार की गाइडलाइन एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 व बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों के अनुसार तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति (दिनांक 31.03.2017) से पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को आहरित कर बैंक, पी0एल0ए0, पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- द्वितीय किश्त के रुप में अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग, उन्हीं शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा, जो प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करते हुए राजस्व विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेशों में लगायी गयी थी तथा कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही भी राजस्व विभाग के निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जायेगा। द्वितीय किश्त के रुप में दी जा रही वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्धारित गाइडलाइन व मानकों के अनुसार वर्तमान में अवशेष/अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने से पूर्व तथा कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त, सड़कों की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराकर उसकी सूचना संबंधित जिलाधिकारी/मण्डल के आयुक्त कार्यालय एवं राजस्व अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन तथा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ एवं शासन को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व संबंधित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी का होगा।

6- इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार, अवशेष कार्यो को कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रुप में गन्ना विकास विभाग द्वारा अवमुक्त की जा रही उपर्युक्त धनराशि की सूचना जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने एवं उनसे उचित समन्वय स्थापित कर अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने एवं जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनके संबंध में प्रथम किश्त के रुप में निर्गत वित्तीय स्वीकृति विषयक राजस्व विभाग के संगत शासनादेश के अनुसार विडियोग्राफी आदि की कार्यवाही कराते हुए, कार्य के सम्परीक्षित लेखा का विवरण जिलाधिकारी/संबंधित मण्डलायुक्त एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष जनपद स्तर पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यो, जो स्थल पर चिन्हांकित एवं सत्यापन योग्य हो, का स्थलीय निरीक्षण भी नियमित रुप से एक स्तर उच्च तकनीकी एवं गैर तकनीकी अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

9- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत) के अन्तर्गत पूंजीगत लेखा शीर्षक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-101-प्राकृतिक आपदाएं-03-अतिबृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना के अवशेष कार्य-24 बृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला लायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/ बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में तथा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-631/1-2014-14(15)/2009, दिनांक 03.07.2014 में निहित प्राविधानों/ निर्देशों के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

( प्रमोद कुमार उपाध्याय )
विशेष सचिव।

------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 26/ 2016/ 2332 (1) सी0डी0/46-3-16-1000(46)/2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
4- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
5- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, अभियंत्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
9- उप गन्ना आयुक्त, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
10- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
11- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13- राजस्व अनुभाग-10
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( प्रमोद कुमार उपाध्याय )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या-**26/ 2016/ 2332 **सी0डी0/46-3-16-1000(46)/2015, दिनांक 03 नवम्बर, 2016 का संलग्नक**

जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2012-13 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्ययोजना एवं उसके सापेक्ष अवशेष कार्यो को कराने हेतु अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत मद) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष/द्वितीय किश्त के रुप में स्वीकृत की जा रही धनराशि का विवरण।

**(धनराशि लाख रुपये में)**

| क्रमांक | परियोजना/कार्य (सड़क)का नाम | स्वीकृत कार्ययोजना/ आगणन की धनराशि | प्रथम किश्त के रुप में अवमुक्त की गयी धनराशि (राजस्व विभाग द्वारा) | अवशेष/द्वितीय किश्त के रुप में अवमुक्त की जा रही धनराशि (गन्ना विकास विभाग द्वारा ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रननगर से मरियाघाट मार्ग | 17.800 | 8.900 | 8.900 |
| 2 | गंगानगर से रननगर मार्ग | 17.700 | 8.850 | 8.790 |
| 3 | गंगानगर से गुरुद्वारा से गुलरिया घाट | 17.300 | 8.650 | 8.620 |
| 4 | चैगुजी से माझा मार्ग | 45.300 | 22.650 | 19.360 |
| 5 | जसनगर से खमरिया मार्ग | 11.500 | 5.750 | 5.600 |
| 6 | बेलराया कडिया रोड से लालापुरवा | 18.200 | 9.100 | 7.930 |
| 7 | निबोरिया से पोखरी सम्पर्क मार्ग | 34.300 | 17.150 | 17.340 |
| 8 | बराही सम्पर्क मार्ग | 17.800 | 8.900 | 7.080 |
| 9 | पड़ुआ शाहपुर मार्ग से नयापुरवा मार्ग पर रपटा एवं एप्रोच निर्माण | 38.000 | 19.000 | 12.360 |
| 10 | रानीनगर रोड से मिर्चिया गुरुद्वारा मार्ग | 17.300 | 8.650 | 8.730 |
| 11 | कृष्णा नगर से रानीनगर मार्ग | 17.500 | 8.750 | 8.750 |
| 12 | गोविन्दनगर से नेपाल बार्डर | 22.800 | 11.400 | 9.600 |
| 13 | गदनिया विक्रमवन सम्पर्क मार्ग | 16.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | गदनिया हरीनगर सम्पर्क मार्ग | 8.500 | 4.250 | 4.250 |
| 15 | चौरी से विविशुनपुर मार्ग | 16.800 | 8.400 | 8.400 |
| 16 | बोझवां पतवारा सम्पर्क मार्ग | 13.500 | 6.750 | 6.750 |
| 17 | नौंगवा बबौरा सम्पर्क मार्ग | 18.500 | 9.250 | 9.250 |
| 18 | टापरपुरवा सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण | 9.000 | 4.500 | 4.500 |
| 19 | घूसर पक्षी फार्म सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण | 12.500 | 6.250 | 6.250 |
| 20 | बिजौरिया प्रा0 पाठशाला से गुरुद्वारा सम्पर्क मार्ग | 14.400 | 7.200 | 7.200 |
| | **योग** | **384.700** | **192.350** | **177.660** |

**(रुपया एक करोड़ सतहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र)**

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in